राजस्व विविध   वाद सं. 02/2021 (69)

13.9.21	अभिलेख उपस्थापित प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अतः वाद की कार्रवाई आज स्थगित रखी जाती है। पुनः दोनों पक्षों को नोटिस कर दिनांक 28.9.21 को आवश्यक कागजात के साथ अपना पक्ष रखने हेतु आदेश दिया जाता है। अभिलेख पुनः 28.9.21 को उपस्थापित करें। 13.9.21 अंचल अधिकारी, कुंडहीत।
20/9/21	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित अतः दोनों पक्षों को पुनः दिनांक 28.9.21 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने एवं आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत करें। 20.9.21 अंचल अधिकारी, कुंडहीत।
28.9.21	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अतः दोनों पक्षों को अपना अपना कागजात एवं पक्ष रखने हेतु दिनांक 8.10.21 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करें। लेखापित 28/9/21 28.9.21 अंचलाधिकारी

Scanned by CamScanner

2

8/10/21

अभिलेख उपस्थापित।
उभय पक्ष उपस्थित।
द्वितीय पक्ष द्वारा अपना कागजात प्रस्तुत किया।
अंचल राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा अंचल निरीक्षक से आवश्यक है जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेश हुआ। पुनः अभिलेख 18.10.2021 को अगली तिथि निर्धारित की जाती है।

8.10.21
अंचल अधिकारी
कुण्डहित

9/10/21

18/10/2

अभिलेख उपस्थापित
राजस्व उप निरीक्षक ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से अपना जाँच प्रतिवेदन पुनः प्रस्तुत किया। मामला मौजा बेनियाडंगाल में भूमि संबंधित (बंदोबस्त भूमि) का विवाद से संबंधित है। राजस्व कर्मचारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में लिखा है कि द्वितीय पक्ष के खोरखन घोष द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा का Case No R.M.A 31/02-03 copy of order dated 13/6/89 of SDO Jamtara SM Case No 179 of 1988-89 Sukdeo Ghosh vs 16 Anna Raiyat of mouza - Beniadangal में आदेश दिया गया है कि मौजा बेनियाडंगाल में रकबा 0.70 ए० भूमि आवेदकगणों के साथ बंदोबस्त की जाती है।

Scanned by CamScanner

ज्ञातव्य हो कि अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के समक्ष Petitison के case No-179/1988-89 के original Petition में भी निम्न लिखित आवेदकों का नाम का जिक्र है।

(1) सुकदेव घोष पिता आशुतोष घोष
(2) वासुदेव घोष पिता आशुतोष घोष
(111) परेश घोष पिता दशरथ घोष
(4) ओमन घोष पिता धजू घोष
(5) निताय घोष पिता धजू घोष

उक्त बात की पुष्टि अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश वाद सं. 179/88-89 आदेश पारित दिनांक 13/6/89 से भी होता है। इस बात की पुष्टि राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन दिनांक 12/12/88 के चेक स्लिप से भी होता है।

यद्यपि कि अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के द्वारा दिए गए बंदोबस्ती के आदेश के पश्चात उपयुक्त पाँचो बंदोबस्तधारियों के विरुद्ध (1) निवारण हेम्ब्रम } पिता
(2) उपेन्द्र हेम्ब्रम } स्व. ठाकुर हेम्ब्रम
(3) नलिनी हेम्ब्रम }
(4) परमीर हेम्ब्रम पिता स्व. गगन हेम्ब्रम

ने ~~दिनांक~~ Revenue mis case Apeal No 59 of 89-90 में अपील दायर की जो बाद में दिनांक 17/7/09 को उपायुक्त जामताड़ा के द्वारा खारिज कर दिया गया।

अब प्रथम पक्ष के स्व. ओमन घोष के पत्नि के द्वारा उन्हें पुत्र पुत्री नहीं रहने के कारण कोकिला घोष ग्राम नाडूतला के निवासी को निबंधित दत्तावेज के द्वारा पोष्य पुत्री के रूप में लिया गया है। वह भी उक्त बंदोबस्त भूमि में अपना हिस्से की माँग करती है। दूसरी ओर द्वितीय पक्ष के रत्नाकर घोष ने अपने आवेदन में लिखा है कि चूँकि मौजा बेलियाडंगाल में जो अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा 0.70 भूमि का बंदोबस्ती उक्त पाँचों व्यक्तियों के नाम से की गई है किन्तु सिर्फ सुकदेव घोष ने चुपके से अंचल कर्मियों के मिलीभगत से शुद्धि पत्र एवं लगान रसीद अपने नाम करा लिया है

यह गलत है क्योंकि यह पाँचों बंदोबस्तधारियों के नाम से है। आवेदक रवीन्द्र घोष पिता स्व. परेश घोष ने अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निर्गत शुद्धि पत्र एवं लगान रसीद को रद्द करते हुए इसमें पाँचों बंदोबस्तधारियों का नाम जोड़ने की माँग की है।

चूँकि तत्कालीन अंचल अधिकारी के द्वारा शुद्धिपत्र एवं लगान रसीद निर्गत किया जा चुका है। इसलिए इसमें सुधार या रद्द कराने हेतु आवेदक को सक्षम न्यायालय में जाना होगा।

इसी प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदकों के नाम से बंदोबस्त भूमि पर पाँचों आवेदकों को बराबर हिस्सा होगा। तथा वर्णित चारों R.T. धनू घोष के कुल भूमि में उनके वंशजों का अधिकार होगा जिसमें डोमन घोष की पत्नि रानीबाला घोष द्वारा कोकिला घोष को निबंधित दस्तावेज द्वारा ली गई पोष्य पुत्री का भी हक है।

इस प्रकार अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के फैसले से क्षुब्ध व्यक्ति सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। और वाद की कारवाई समाप्त की जाती है।

ह० 19/10/21
अँचल अधिकारी
जामताड़ा।

Digitally signed by NITYA NAND PRASAD
Date: 2023.09.22 12:53:49 +05:30
Location: 192.168.1.47

Scanned by CamScanner